



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



11 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 4 राँची, बुधवार

31 जनवरी, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 26-45
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

11 दिसम्बर, 2023

विषय : झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक को क्षांत करने के संबंध में ।

संख्या-1632(3)--झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक के तहत उच्चतर अध्ययन हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ।

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 का परन्तुक निम्नवत् है-

“परन्तु यह और भी कि अस्थायी सरकारी सेवक को किसी एक समय में साधारणतः दो वर्ष तक की और बहुत खास परिस्थितियों में तीन वर्ष तक की असाधारण छुट्टी किसी अनुमोदित अध्ययन-चर्चा या प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए दी जा सकती है। यह रियायत सिर्फ उन अस्थायी सरकारी सेवकों को मिल सकेगी जो एक वर्ष से अधिक समय से लगातार सरकारी सेवा में रहे हैं और जब कि वे पद जिनसे वे छुट्टी पर जायें, उनके कर्तव्य पर लौटने तक बने रह सकें ।”

2. उक्त नियम के आलोक में चिकित्सा पदाधिकारियों के पद पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र में निदेशित किया जाता है कि उन्हें परीक्ष्यमान अवधि के प्रथम वर्ष में अध्ययन चर्चा में भाग लेने हेतु अवकाश विचारणीय नहीं होगा ।

3. अनेक चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने सेवा के प्रथम वर्ष में उच्चतर अध्ययन चर्चा में सम्मिलित होने हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाता है।

वर्ष 2023 बैच के कतिपय चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा भी उच्चतर अध्ययन हेतु NOC निर्गत करने का आवेदन दिया गया है ।

परन्तु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक के आलोक में एक वर्ष से अधिक समय लगातार सरकारी सेवा पूर्ण नहीं हो पाने के कारण अनापति प्रमाण पत्र की पात्रता से वंचित हो जाते हैं।

4. उक्त लागू नियम के कारण अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर अनेक चिकित्सा पदाधिकारी सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं एवं इनकी सेवा राज्य को प्राप्त नहीं हो पाती है। 2023 बैच में कतिपय चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भी उच्चतर अध्ययन हेतु NOC न मिलने पर सेवा से त्याग पत्र दिया गया है।

5. बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्ष 2021 में दिये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र कंडिका- 14 में यह अंकित है कि- नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी में से यदि कोई पूर्व से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वे नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान देंगे और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेंगे। अध्ययन अवधि समप्ति के उपरान्त वे नव पदस्थापित स्थान/संस्थान में पुनः योगदान समर्पित करेंगे।

कंडिका- 15 में अंकित है कि- नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से राज्य अथवा राज्य के बाहर किसी चिकित्सा संस्थान में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटर/जूनियर रेजिडेन्ट अथवा अन्य किसी पदों पर पदस्थापित है तो वे भी नव पदस्थापित स्थान पर योगदान (प्रथम) देंगे और बचे हुए टेन्योर अवधि पूरा करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जायेंगे।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के नियुक्ति पत्र में यह अंकित नहीं है कि परीक्ष्यमान अवधि के प्रथम वर्ष में अध्ययन चर्चा में भाग लेने हेतु अवकाश विचारणीय नहीं होगा।

6. राज्य में चिकित्सकों की कमी है। खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की घोर कमी है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सक का स्वीकृत 1021 पदों में से मात्र 185 कार्यरत हैं तथा शेष 836 रिक्त हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, जो उच्चतर अध्ययन प्राप्त करते हैं, वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में राज्य में सेवा दे रहे हैं।

वर्तमान में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत कुल 249 चिकित्सक ऐसे हैं, जो उच्चतर अध्ययन के पश्चात् विशेषज्ञता प्राप्त किये हुए हैं तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा राज्य को प्रदान कर रहे हैं।

7. उक्त के आलोक में राज्य हित में वैसे चिकित्सा पदाधिकारी, जो एक वर्ष से कम की अवधि तक सरकारी सेवा में रहते हुए अध्ययन चर्चा में जाना चाहते हैं उन्हें उच्चतर अध्ययन हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने पर विचार की आवश्यकता महसूस की गयी।

परन्तु उक्त हेतु सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक, जिसमें अध्ययन-चर्या में सम्मिलित होने हेतु एक वर्ष से अधिक समय से लगातार सरकारी सेवा में रहना अनिवार्य किया गया है को झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में क्षान्त करने की आवश्यकता है। ताकि वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जो नियुक्ति के उपरांत एक वर्ष से कम अवधि के लिए सरकारी सेवा में कार्यरत हो, को उच्चतर अध्ययन हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके एवं उच्चतर अध्ययन के उपरांत इनकी सेवाएँ राज्य को प्राप्त हो सके।

उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 07.12.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 11 में लिये निर्णय के अनुरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक को जिसमें अध्ययन-चर्या में सम्मिलित होने हेतु एक वर्ष से अधिक समय से लगातार सरकारी सेवा में रहना अनिवार्य किया गया है, को झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में क्षान्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

8. उक्त निर्णय के आलोक में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 243 के परन्तुक को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2023

संख्या-13 पी₂-103/2019-6266--सी०, श्री पी० मुरुगन, भा०पु०से०(2010), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान-Level-13A of Pay Matrix) में इनसे कनीय श्री वाई० एस० रमेश, भा०पु०से०(2010) को विभागीय अधिसूचना सं०-6255, दिनांक-27.12.2023 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2023

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची ।

संख्या - 13/आई.पी.एस.-102/2023-6152—

विषय:- श्री अंजनी कुमार झा, भा०पु०से०(2012) के द्वारा दिनांक-12.09.2023 से 18.10.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं-4086, दिनांक-08.09.2023 के अनुपालन में श्री अंजनी कुमार झा, भा.पु.से. ने दिनांक-11.09.2023 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, गढ़वा का प्रभार सौंपकर दिनांक-13.09.2023 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया। श्री झा को विभागीय अधिसूचना सं-4786, दिनांक-18.10.2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.10.2023 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री अंजनी कुमार झा दिनांक-12.09.2023 से 18.10.2023 तक कुल 36(छत्तीस) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री अंजनी कुमार झा भा.पु.से.(2012) के द्वारा दिनांक-12.09.2023 से 18.10.2023 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- I. दिनांक-12.09.2023 को पारगमन अवधि के रूप में।
- II. दिनांक-13.09.2023 से 18.10.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. श्री अंजनी कुमार झा, भा.पु.से.(2012) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2023

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची ।

संख्या- 13/आई.पी.एस.-113/2020-6153--

विषय:- श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा०पु०से०(2015) के द्वारा दिनांक-29.07.2023 से 07.11.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-3351, दिनांक-26.07.2023 के अनुपालन में श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा०पु०से० ने दिनांक-29.07.2023 के पूर्वाह्न में पुलिस अधीक्षक देवघर का प्रभार सौंपकर दिनांक-31.07.2023 के पूर्वाह्न में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया। श्री जाट को विभागीय अधिसूचना सं०-5142, दिनांक-06.11.2023 के द्वारा AIG-CUM-Special Assistant to DGP, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-07.11.2023 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। पदस्थापन के प्रतिक्षा अवधि में ही श्री जाट को विभागीय अधिसूचना सं०-4588, दिनांक-09.10.2023 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मणिपुर हिंसा से संबंधित काण्ड के अनुसंधान हेतु सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा श्री जाट अद्यावधि सीबीआई में ही प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस प्रकार श्री सुभाष चन्द्र जाट दिनांक-28.07.2023 से 20.10.2023 तक कुल 101(एक सौ एक) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहें, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा०पु०से०(2015) के द्वारा दिनांक-29.07.2023 से 07.11.2023 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- i. दिनांक-29.07.2023 से 30.07.2023 तक पारगमन अवधि के रूप में।
 - ii. दिनांक-31.07.2023 से 07.11.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।
3. श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा.पु.से.(2015) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2023

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची।

संख्या- 13/आई.पी.एस.-113/2020-6136--

विषय:- श्री आर० रामकुमार, भा०पु०से०(2015) के द्वारा दिनांक-11.09.2023 से 18.10.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-4082, दिनांक-08.09.2023 के अनुपालन में श्री आर० रामकुमार, भा०पु०से० ने दिनांक-11.09.2023 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा का प्रभार सौंपकर दिनांक-12.09.2023 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में

योगदान समर्पित किया। श्री रामकुमार को विभागीय अधिसूचना सं०-4791, दिनांक-18.10.2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक एस० सी० आर० बी०, झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.10.2023 के पूर्व० में प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री आर० रामकुमार दिनांक-11.09.2023 से 18.10.2023 तक कुल 37(तैंतीस) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहें, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री आर० रामकुमार, भा.पु.से.(2015) के द्वारा दिनांक-11.09.2023 से 18.10.2023 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- I. दिनांक-11.09.2023 को पारगमन अवधि के रूप में।
- II. दिनांक-12.09.2023 से 18.10.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

3. श्री आर० रामकुमार, भा.पु.से.(2015) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

6 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-830/2022 कां०- 6240--श्री रवि जैन, भा.प्र.से. (झा: 2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज, झारखण्ड को निजी कार्य से निजी व्यय पर विदेश (इण्डोनेशिया) की यात्रा की अनुमति एवं अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-17.11.2023 से 10.12.2023 तक कुल 24 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश जिसमें दिनांक-27.11.2023 से 08.12.2023 तक (Ex-India leave) की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-830/2022 कां०- 7346--विभागीय अधिसूचना संख्या 6240 दिनांक- 06.11.2023 के द्वारा श्री रवि जैन, भा०प्र०से० (झा:2020), अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज, झारखण्ड को दिनांक- 17.11.2023 से 10.12.2023 तक कुल 24 दिनों के लिए स्वीकृत उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-11.12.2023 से 12.12.2023 तक कुल दो दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2024

अधि०सं०-01/श्र०नि०प्र०स्था०(आरोप)-8007/2013श्र०नि०-108--श्री राहुल कुमार, कारखाना निरीक्षक, तत्कालीन हजारीबाग अंचल-1, हजारीबाग सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, गिरिडीह अंचल, गिरिडीह को निगरानी थाना कांड सं०-07/2013, दिनांक-22-03-2013 की धारा-7/13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 दर्ज होने एवं दिनांक-23-03-2013 को जेल भेजे जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-987 दिनांक-20-04-2013 द्वारा निलंबित किया गया था।

2. हिरासत से मुक्त होने के पश्चात सरकार द्वारा विचारोपरान्त दिनांक-03-05-2013 के प्रभाव से श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।

3. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-211 दिनांक-31-01-2014 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिगम में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के भाग-V, नियम-14 में उल्लेखित लघु शास्तियों के अन्तर्गत श्री राहुल कुमार, कारखाना निरीक्षक, तत्कालीन हजारीबाग अंचल-1, हजारीबाग सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, गिरिडीह अंचल, गिरिडीह को असंचयात्मक प्रभाव से कुल-03 (तीन) वेतनवृद्धि पर रोक के प्रभाव से दंडित किया जाता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके पेंशन पर नहीं पड़ेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पुनम कच्छप,
सरकार के अवर सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग-----
अधिसूचना

24 जनवरी, 2024

अधि० सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-07-16/2012श्र०नि०.-109--झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के श्री विनीत कुमारसिंह कारखाना निरीक्षक, साहेबगंज अतिरिक्त प्रभार कारखाना निरीक्षक, जामताड़ा, कारखाना निरीक्षक, देवघर को अपने कार्यों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक, राँची अंचल-3 एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-07-16/2012श्र०नि०.-110--झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के श्री धीरेन्द्र सिंह मुंडा कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल-1 अतिरिक्त प्रभार कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल-2 एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, बोकारो को अपने कार्यों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक, धनबाद अंचल-3 का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पुनम कच्छप,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/पी₂-104/2019-6127--भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं.-45020/11/97-आई.पी.एस.-ii दिनांक-15.01.1999 एवं विभागीय अधिसूचना सं-2296, दिनांक-04.09.2001 में निहित प्रावधान के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिदेशक कोटि में प्रोन्नति हेतु गठित प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में श्री संजय श्रीवास्तव, भा.व.से., पी.सी.सी.एफ. एवं एच.ओ.एफ.एफ., झारखण्ड, राँची को नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2023

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची।

संख्या-13/आई.पी.एस.-113/2020-6294--

विषय:- श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से०(2018) के द्वारा दिनांक-11.09.2023 से 19.10.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-4088, दिनांक-08.09.2023 के अनुपालन में श्री मनोज स्वर्गियारी, भा.पु.से. ने दिनांक-10.09.2023 को पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा का प्रभार सौंपकर दिनांक-11.09.2023 के पूर्वाह्न में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया। श्री स्वर्गियारी को विभागीय अधिसूचना सं०-4795, दिनांक-18.10.2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक रेल, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-19.10.2023 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री स्वर्गियारी दिनांक-11.09.2023 से 19.10.2023 तक कुल- 38(अड़तीस) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहे, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री मनोज स्वर्गियारी भा.पु.से.(2018) के द्वारा दिनांक-11.09.2023 से 19.10.2023 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

i. दिनांक-11.09.2023 से 18.10.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

ii. दिनांक-19.10.2023 को पारगमन अवधि के रूप में।

3. श्री मनोज स्वर्गियारी, भा.पु.से.(2018) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

10 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-854/2012 का०-6385-- श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011), उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा दिनांक-14.09.2023 से 26.09.2023 तक कुल 9 दिनों की आकस्मिक अवकाश की प्रदत्त स्वीकृति एवं राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश के उपभोग करने की प्रदत्त अनुमति को रद्द किया जाता है तथा इसके स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-14.09.2023 से 26.09.2023 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।-----
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-809/2021 का०- 6273-- श्री आलोक कुमार, भा०प्र०से० (झा:2019), अपर नगर आयुक्त, आदित्यपुर नगर निगम को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.11.2023 से 05.12.2023 तक कुल 20 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-811/2022 खण्ड का०- 6760--श्री प्रशांत कुमार, भा०प्र०से० (झा:2004), सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-28.11.2023 से 30.11.2023 तक कुल 03 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2023

संख्या1/विविध-817/2023 खण्ड का०- 6757-- श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ, भा०प्र०से० (झा:2011), अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-07.12.2023 से 21.12.2023 तक कुल 15 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2023

संख्या-1/विविध-824/2012 का०-6384-- श्री एल. खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988), महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची को विभागीय पत्रांक-5573 दिनांक-05.10.2023 द्वारा दिनांक-26.09.2023 से 29.09.2023 तक कुल 03 दिनों के आकस्मिक अवकाश की प्रदत्त स्वीकृति तथा दिनांक-23.09.2023 से 29.09.2023 तक के मध्य में राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश को उपभोग करने की प्रदत्त स्वीकृति को रद्द किया जाता है तथा इसके स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-25.09.2023 से 06.10.2023 तक कुल 12 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 23.09.2023 तथा 24.09.2023 को शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

8 नवम्बर, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-110/2014 का. 6290-- श्रीमती संगीता लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-772/03), संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को दिनांक 15.05.2023 से दिनांक 20.06.2023 तक (कुल 37 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DILIP KUMAR SAHAY, SHREYA SAHAY (अन्य नाम SHREYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 03, दिनांक 3 जनवरी, 2024 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHREYA SAHAY (जन्म तिथि - 14 अगस्त, 2011) के नाम से जानी जायेगी।

SHREYA SAHAY एवं SHREYA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 1 - D, SRI KRISHNA OM SAI KAMAKHYA APARTMENT,
KANKE BLOCK ROAD,
NEAR HASIM MARKET, ARSANDAY,
P.O. & P.S. - KANKE,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834006,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SERAJ ANSARI अन्य नाम SERAJ UDDIN ANSARI, SERAJUDDIN ANSARI पिता Late SHEKH KHUDI, शपथ पत्र सं० 325, दिनांक 9 जनवरी, 2024 के अनुसार SERAJ ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा।

SERAJ ANSARI, SERAJ UDDIN ANSARI एवं SERAJUDDIN ANSARI तीनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - AJAD BASTI, LOHARDAGA,
P.O. & P.S. - LOHARDAGA,
DIST. - LOHARDAGA,
PIN - 835302
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RINKU SINGH अन्य नाम RINKU KUMARI पिता ASHOK KUMAR SINGH, पति SRI AJIT KUMAR, शपथ पत्र सं० 84, दिनांक 11 जनवरी, 2024 के अनुसार RINKU SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

RINKU SINGH एवं RINKU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - RATU CHATTI, (BEHIND BANK OF INDIA),
P.O. - RATU,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ASHUTOSH CHARAN, AVYAAN SAMBHAVYA (अन्य नाम ARSH SAMBHAVYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 567, दिनांक 25 नवम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AVYAAN SAMBHAVYA (जन्म तिथि - 23 अगस्त, 2008) के नाम से जाना जायेगा।

AVYAAN SAMBHAVYA एवं ARSH SAMBHAVYA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 3A,
PRABHUNATH APARTMENT,
DR. J. SHARAN LANE,
BARIATU, RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ARCHANA SINGH अन्य नाम ARCHANA SINHA पिता YUGESHWAR PRASAD SINGH, शपथ पत्र सं० 1822, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के अनुसार ARCHANA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

ARCHANA SINGH एवं ARCHANA SINHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - LIG, R/325, HIGH COURT COLONY,
HARMU HOUSING COLONY,
HARMU,
RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHARANJEET SINGH अन्य नाम GURMEET SINGH पिता Late SHINGARA SINGH, शपथ पत्र सं० DK-2946, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के अनुसार CHARANJEET SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

CHARANJEET SINGH एवं GURMEET SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - QR. NO. - 25, GANDAK ROAD, NEAR GOLMURI
P.S. - TINPLATE, GOLMURI,
JAMSHEDPUR,
DIST. - EAST SINGHBHUM,
PIN - 831003
JHARKHAND
